अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 49/2013

1. नूरनबी पुत्र मोलवी शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

निगरानीकर्ता

बनाम

रसीद खां पिसरान अजीज खां जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर (श्रीगंगानगर)

2. यासीन खां के विधिक वारिसान
   - 2.1 जैना बीबी पत्नी श्री यासीन खां
   - 2.2 समीरा बीबी पुत्री श्री यासीन खां
   - 2.3 इसराईल खां पुत्र श्री यासीन खां
   - 2.4 नजीरा बीबी पुत्री श्री यासीन खां
   - 2.5 मोहम्मद नवाज पुत्र श्री यासीन खां

   जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

3. ग्राम पंचायत नूरपुरा जरिये सरंपच ग्राम पंचायत तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश बिना तारीख भूखण्ड संख्या सी–26

उपस्थित : 1. श्री ओम प्रकाश बतरा, अधिवक्ता, **निगरानीकर्ता**
2. श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता **गैर निगरानीकर्त्तागण – अनुपस्थित**

आदेश **दिनांक : 17.11.2017**

प्रस्तुत निगरानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्त्ता के पिता के पास गांव नूरपुरा तहसील सादुलशहर का आहता संख्या सी–26 पैमाईशी 60 गुणा 60 की जगह सन् 1970 से पूर्व से कब्जा में चली आ रही है। निगरानीकर्त्ता के पिता ने जब उक्त प्लॉट को अलॉट करवाने नियमन करवाने की कार्यवाही इस ग्राम पंचायत अलीपुरा (वर्तमान पंचायत नूरपुरा) ने 400/– जमा करवा कर पट्टा दिनांक 05.07.1973 को जारी किया गया तथा कब्जा निगरानीकर्त्ता के पिता का चला आया तथा

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पारिवारिक समझौता में उक्त भूखण्ड निगरानीकर्त्ता को मिला हुआ है तथा उसके कब्जा में चला आ रहा है। ग्राम पंचायत अपीलपुरा का पट्टा दिनांक 05.06.1970 अप्रार्थी, जिसकी फोटो प्रति शामिल है, गलत खिलाफ कानून है। गैर निगरानीकर्त्ता के नाम से/पिता के नाम से पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो पंचायत की कोई मीटिंग हुई ना ही प्रस्ताव पास हुआ, ना ही कोई कमेटी गठित की गई, ना ही मौका देखा, कब्जा की जाचं की, ना ही अन्य कोई भी कानूनी अथवा न्यायिक प्रक्रिया को ही अपनाया गया । कब्जा के अभाव में अप्रार्थी/उसके पिता के ना से कानूनन ही पट्टा जारी नहीं किया जा सकता या इसके अलावा दिनांक 05.06.1970 के पट्टा में कोई आस पास भी दर्ज नहीं किया गया है, ना ही कोई नक्शा ही बनाया गया है, ना ही पंचायत के किसी प्रस्ताव का विवरण ही अंकित किया गया है। सन् 1970 में अगर कोई पट्टा जारी होता तो पंचायत का प्रस्ताव संख्या आदि दर्ज किया जाता। निगरानीकर्त्ता ने निगरानी पेश कर निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा दिनांक 05.06.1970 बाबत प्लॉट नूरपुरा सी–26 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। रिकॉर्ड तलब करने पर, सचिव ग्राम पंचायत, अलीपुरा/नूरपूरा ने रिकॉर्ड उनकी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया।

बहस सुनी गई।

निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता बहस ने अपनी बहस में कहा कि नई आबादी मौजा नूरपुरा के भूखण्ड संख्या सी–26 तादादी 400 दज गज का पट्टा दिनांक 05.06.1973 को निगरानीकर्त्ता नूरनबी के पिता शेर मोहम्मद के नाम जारी किया गया था एवं उसी भूखण्ड संख्या सी–26 का पट्टा दिनांक 05.06.1970 को ही गैर–निगरानीकर्त्ता संख्या 01 रसीद खां के नाम जारी किया है, जो कि फर्जी, कानून के खिलाफ, अनुचित व अधिकारविहीन होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है।

गैर निगरानीकर्त्तागण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख अवलोकन से पाया गया कि नई आबादी मौजा नूरपुरा के भूखण्ड संख्या सी–26 तादादी 400 दरगज दिनांक 05.06.1970 को गैर निगरानीकर्त्ता संख्या रसीद खां को अलॉट किया गया था, जबकि उसी भूखण्ड संख्या सी–26 को ग्राम पंचायत द्वारा पुनः दिनांक 05.06.1973 को निगरानीकर्त्ता के पिता शेर मोहम्मद को अलॉट कर दिया गया। पत्रावाली में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो को मध्यनजर रखते हुए ग्राम पंचायत को भूखण्ड संख्या सी–26, जो कि गैर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निगरानीकर्त्ता को दिनांक 05.06.1970 को अलॉट कर दिया तो उसे पुनः दिनांक 05.06.1973 को निगरानीकर्त्ता के पिता को अलॉट करने का अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा पुनः पट्टा अलॉट करने में त्रुटि की गई है। प्रस्तुत पट्टो के अवलोकन से पाया कि उभयपक्ष में से कोई भी अपने पट्टे के सम्बन्ध में प्रक्रियात्मक अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये। वे परस्पर एक दूसरे को जारी पट्टे को विधि विरूद्ध करार देने का कथन एवं दलील देते रहे। वास्तवमें जो भूखण्ड पूर्व में इसी ग्राम पंचायत के उसी सरपंच द्वारा अपनाई प्रक्रिया के तहत निष्पादित कर दिया, उसे पुनः निष्पादित करने का बाद में अधिकार हीं नहीं रह जाता है। इस न्यायलाय मे निर्णीत निगरानी पंचायत प्रकरण संख्या 52/2013 यासीन खां बनाम नूरनबी खां में भी निगरानीकर्त्ता ने अपने भूखण्ड संख्या–30 का उल्लेख किया है, जिसमें गैर निगरानीकर्त्ता नूरनबी खां को पट्टा दिनांक 19.04.1968 को अलॉट होने एवं निगरानीकर्त्ता को पट्टा दिनांक 05.06.1970 को अलॉट होने के कारण, निगरानीकर्त्ता का पट्टा दिनांक 05.06.1970 निरस्त किया गया है एवं गैर निगरानीकर्त्ता नूरनबी खां का भूखण्ड संख्या–30 को बहाल रखा गया है। सिविल न्यायालय ने भी निगरानीकर्त्ता का विक्रय विलेख दिनांक 1970 को जारी होना मानकर गैर–निगरानीकर्त्तागण को बाद वाली दिनांक 1973 को विक्रय जारी विलेख निराधार व बिना अधिकार मानकर दावा दिनांक 28.09.2013 को खारिज कर दिया था।

निष्कर्षतः उपरोक्त दृष्टांतो/सिद्धांतो के आलोक से निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत अलीपुरा पंचायत समिति सादुलशहर के भूखण्ड संख्या सी–26 का जारी किया गया पट्टा दिनांक 05.06.1973 को निरस्त किया जाता है एवं भूखण्ड संख्या सी–26 का दिनांक 05.06.1970 को जारी किया गया पट्टा बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 17.11.2017 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर